फर्द अहकाम

ग्यारसा बनाम रामप्रताप वगै०

नाम न्यायालय - ACM Chomu

केस संख्या - 38/18

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	टिप्पणी
	08/4/24	पत्रावली पार्थी उप० संशोधित निर्णय पेश हुआ। पत्रावली वास्ते बहस हेतु आगामी दिनांक 16/5/24 को पेश हो।	
	16-5-24	पक्षकारों द्वारा आज कंप्रोमाइज / कार्य विभाजन रद्द जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 04/7/24 को पेश हो।	
	04/7/24	प्र. प्रार्थी उप०। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 14/8/24 को पेश हो।	
	14/8/24	प्र. प्रार्थी उप०। बहस T.I. सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। मूल वाद घोषणा, स्थाई दुकस्ती, नमना दुकस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा के बारे प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13/11/2018 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है। उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के ता फैसला मूल वाद कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है ताकि पक्षकारान के मध्य वाद बहुलता न बढ़े। अतः इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13/11/18 को ता फैसला मूल वाद कायम किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से खारिज हो। तथा मूल वाद के संलग्न रहे।	

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)